# वीरांगना पत्नी ने अपने वीर सैनिक पति को कांधा देकर दी अंतिम विदाई

**जयपुर,** (निसं)। छावसरी गांव निवासी सीआरपीएफ के जवान अनिल कुमार का श्रीनगर में ड्यूटी के दौरान निधन हो गया। जिनको शनिवार को पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। उस वक्त हर आंख नम हो गई, जब जवान अनिल कुमार की वीरांगना पत्नी ने अपने वीर सैनिक पति को कांधा देकर अपने घर से विदा किया और विदा करने के साथ ही बेसुध हो गई। इससे पहले शनिवार दोपहर को अनिल कुमार की पार्थिव देह उनके पैतृक छावसरी लाई गई। जहां पर सैन्य सम्मान के साथ अंत्येष्टि की गई। इस दौरान सीआरपीएफ की टुकड़ी ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। अनिल कुमार को अंतिम विदाई देने के आस-पड़ौस के गांवों के युवाओं ने भारत की माता, वंदे मातरम व जब सुरज चांद रहेगा अनिल तेरा नाम रहेगा जयकारों के साथ दी गई।

अनिल कुमार के पार्थिव शरीर पर राज्यमंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा, उदयपुरवाटी के पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी, जिला प्रमुख हर्षिनी कुल्हरी, पूर्व विधायक वीरेंद्र सिंह, एसडीएम रामसिंह राजावत, गुढ़ागौड़जी तहसीलदार सुभाष चन्द्र व गुढ़ागौड़जी थानाधिकारी संजय वर्मा ने पुष्प चक्र अर्पित किए गए। सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडर सुनील सिंह ने अनिल कुमार के बड़े भाई सुनील कुमार को तिरंगा सौंपा गया। सीआरपीएफ के जवान अनिल कुमार के सम्मान में युवाओं ने गुढ़ागौड़जी पुलिस से उनके पैतृक छावसरी तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। जिसमें बड़ी संख्या युवाओं ने बाइक पर सवार होकर हाथों में तिरंगा लिए हुए डीजे के देश भक्ति गीत के साथ चल रहे थे।

जिला परिषद सदस्य अजय कुमार भालोठिया, सरपंच संघ जिलाध्यक्ष संजय नेहरा, युवा यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुधींद्र मूंड, भाजपा जिलाध्यक्ष पवन मावंडिया, सरपंच संजू चौधरी सीथल, सरपंच रविराज सिंह केड, सरपंच जयपाल जाखड़ बामलास, पूर्व सरपंच विजयपाल भाटीवाड़, एडवोकेट विजय ओला छावसरी, सरपंच रामनिवास शर्मा, पूर्व सरपंच रघुवीरसिंह कासनिया, पूर्व सरपंच दारासिंह गुढ़ा बावनी, पूर्व सरपंच ओमप्रकाश महला, पूर्व सरपंच रोहिताश टीटनवाड़, भाजपा मंडल अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह शेखावत, पूर्व जिला परिषद सदस्य राजेंद्र केड, उप सरपंच बिरजूसिंह महला, प्रधानाचार्य ओमप्रकाश पूनियां, डॉ. रजनीश कुमार, मथुराप्रसाद खींवासर, दुर्गा फगेड़िया समेत कई लोग शामिल थे। 2017 में अनिल कुमार सेना में भर्ती हुए थे। उनके एक ढाई साल की बेटी काव्या तथा तीन माह की बेटी सुनिधि है। वे 45 दिन पूर्व ही गांव आकर लौटे थे।

छावसरी गांव निवासी सीआरपीएफ के जवान अनिल कुमार की वीरांगना पत्नी ने सैनिक पति को कांधा दिया तो लोगों की आंखें नम हो गई।

- सैनिक अनिल कुमार की पैतृक छावसरी में सैन्य सम्मान के साथ अंत्येष्टि की
- अनिल कुमार के ढाई साल की बेटी काव्या तथा तीन माह की बेटी सुनिधि है

# जीएसटी लगाने का विरोध, हिंडौन कृषि उपज मंडी में दुकानें बंद रही

केंद्र सरकार द्वारा जिंस, आटा, दाल और खाद्य पदार्थों पर लगाई गई पांच प्रतिशत जीएसटी के खिलाफ मंडी व्यापारियों ने प्रदर्शन किया।

**हिण्डौन सिटी,** (कासं.)। केंद्र सरकार द्वारा जिंस, आटा, दाल और खाद्य पदार्थों पर लगाई 5 प्रतिशत जीएसटी के खिलाफ देशभर में कृषि मंडी व्यापारियों ने मोर्चा खोल दिया। सरकार द्वारा लगाए गए जीएसटी के विरोध में शनिवार को कृषि व्यापारियों द्वारा मंडी बंद का ऐलान किया गया था। जिसका व्यापक असर हिंडौन कृषि उपज मंडी में देखने को मिला। जीएसटी लगाने के विरोध में हिंडौन कृषि उपज मंडी के व्यापारियों ने मंडी परिसर में अपने 119 आढ़त की दुकानों को बंद कर केंद्र सरकार के खिलाफ में नारेबाजी प्रदर्शन किया।

व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए बताया कि केंद्र की मोदी सरकार ने आमजन एवं व्यापारियों के व्यापार को जीएसटी बढ़ाने से आमजन गरीब किसानों को काफी नुकसान होगा। गरीब की खाद्य जरूरत की वस्तु पर जीएसटी लागू करना गलत है। मंडी अध्यक्ष राम गोपाल गुप्ता ने बताया कि जीएसटी के विरोध में देशभर में कृषि उपज मंडी कारोबार बंद रहा। जिसमें देश भर में 7300 मंडियां, 13000 दाल मील, 9654 चावल मील, 8000 आटा मील बंद रही।

कृषि उपज मंडी के व्यापारी राजीव गोयल ने बताया कि कोरोना के कारण पहले से ही ट्रेड और व्यापारी माली हालत से गुजर रहे हैं। जिससे व्यापारियों द्वारा दी गयी उधारी वापस नहीं आ रही है। आम आदमी के पास फिलहाल रोजमर्रा के जरूरतों के सामान खरीदने के लिए पैसे नहीं है। वहीं अब उएऊ बढ़ाकर सरकार ने सीधे तौर पर जनता की जेब काटने का काम किया है। दिन भर मेहनत मजदूरी कर पेट पालने वाले कृषि उपज मंड में करीब 700 पल्लेदारों का मंडी कारोबार बंद रहने से आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। पल्लेदारों कहना है कि कृषि उपजमंडी के अलावा और कोई कारोबार नहीं होने से जब भी मंडी बंद होती है तो 1 दिन के लिए भी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। कृषि उपज मंडी के सचिव राजेश कुमार कर्दम ने बताया कि वैसे तो बारिश के मौसम में किसानों की जिंसें मंडी में कम आ रही है।

# सांसद कोली को पीडब्ल्यूडी कार्यालय के निरीक्षण में कोई अधिकारी नहीं मिला

**भरतपुर** (निसं)। सांसद रंजीता कोली एक दिवसीय दौरे के दौरान कामां पहुंची। इस दौरान उन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्हें कार्यालय में कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं मिला। जिस पर सांसद ने नाराजगी जाहिर की।

- सांसद ने नाराजगी जताई, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से दूरभाष पर वार्ता कर जानकारी ली
- कामां-पहाड़ी से गोपालगढ़ रोड के निरीक्षण में सड़कें टूटी हुई मिली, अधिकारियों को लताड़ लगाई

निरीक्षण के दौरान सांसद ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से दूरभाष पर वार्ता कर प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत 20 करोड़ की राशि के स्वीकृत हुए कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की। वहीं कामां-पहाड़ी से गोपालगढ़ रोड का मौका मुआयना किया जिसमें कामां पंचायत समिति कामां के एक्सईन अपने कार्यालय में अनुपस्थित मिले। कनिष्ठ अभियंता नवीन आनंद ने अवगत कराया। लेकिन जब सांसद ने मौके पर देखा तो सड़कें टूटी हुई मिली। जिस पर सांसद ने मौके पर उपस्थित अधिकारियों को लताड़ लगाई।

इसके बाद सांसद निजी कार्यक्रम के अंतर्गत कामां कस्बे के ऊदाका मोहल्ला निवासी भाजपा आईटी सेल के शहर संयोजक पंकज दनादन के निवास पर पहुंची। जहां उन्होंने जन्मदिन पार्टी में भाग लिया और आईटी सेल के संयोजक पंकज दनादन के भाई अमित खंडेलवाल और उनके पत्नी की एक सप्ताह पूर्व हुई शादी पर शुभकामनाएं दी। इस दौरान परिवार के सदस्यों ने सांसद रंजीता कोली को स्मृति चिन्ह प्रदान कर व शाल ओढ़ाकर सम्मान किया। सांसद के दौरे में उनके साथ जिला उपाध्यक्ष मनीष शर्मा, भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष प्रदीप गोयल, नगर पालिका पार्षद किशोर तिवारी, भाजपा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष शाकिर अली, गोपालगढ़ मंडल अध्यक्ष घसीटाराम, पहाडी मंडल अध्यक्ष मोनू सांवलेरिया, आईटी सेल संयोजक मनोज गुर्जर सहित दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे।

सांसद रंजीता कोली ने कामां का दौरा किया।

## चोरी हुआ एटीएम मिला

**उदयपुर,** (कासं)। झल्लारा थाना क्षेत्र के ईंटाली गांव से उखाड़ ले गए एसबीआई एटीएम को बदमाश भागते समय कुराबड़ थाना क्षेत्र में रोड़ किनारे पगडंडी मार्ग पर छोड़ कर फरार हो गए।

झल्लारा कस्बा के ईंटाली गांव से गुरूवार देर रात में अज्ञात बदमाश एसबीआई एटीएम उखाड़ ले जाने की सूचना पर जिला पुलिस अधीक्षक विकास कुमार शर्मा के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार सांखला, पुलिस उप अधीक्षक सलूम्बर सुधा पालावत के सुपरविजन में झल्लारा थानाधिकारी परमेश्वर पाटीदार के नेतृत्व में गठित टीम अनुसंधान में लगी थी। इसी अभियान के दौरान शनिवार सवेरे कुराबड़ थाना क्षेत्र जगत से जोधपुर चांसदा रोड़ किनारे पगदंडी मार्ग पर बक्सा पड़ा होने की सूचना मिलने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सलूम्बर सुधा पालावत के नेतृत्व में झल्लारा थानाधिकारी परमेश्वर पाटीदार, हेडकांस्टेबल महेन्द्रसिंह, मनोहरसिंह, देवीदयालसिंह, अशोक कुमार, कांस्टेबल यदुवीरसिंह, धमेन्द्रसिंह, गणेशाराम, प्रवीणसिंह मय टीम ने मौके पर पहुंच कर पड़ताल की तो उक्त बक्सा झल्लारा कस्बे के इण्टाली गांव से उखाड़ ले गए एटीएम का बक्सा होने की पुष्टि होने पर कब्जे में लिया।

# किसान सभा का धरना 38वें दिन भी जारी

चूरू में अखिल भारतीय किसान सभा तहसील कमेटी चूरू की ओर से अपनी मांगों को लेकर दिया जा रहा धरना जारी रहा।

**चूरू,** (कासं)। अखिल भारतीय किसान सभा तहसील कमेटी चूरू की ओर से अपनी मांगों को लेकर दिया जा रहा धरना आज 38वें दिन भी जारी रहा। तहसील अध्यक्ष रणसिंह ने बताया कि यहां आज की सभा की अध्यक्षता सुमेरसिंह ने की। दीपाराम प्रजापत, हरचंद कड़वासरा, इन्द्राजसिंह ने सभा को सम्बोधित किया। जिलाध्यक्ष इन्द्राजसिंह ने कहा कि केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और बीमा कम्पनी मिलकर किसानों को लूट रहे हैं। आज यहां कलैक्ट्रेट के आगे किसान नेताओं ने आधा घंटा तक सड़क को जाम रखा। इस दौरान नारेबाजी भी की गई।

## चोरी का खुलासा, चार गिरफ़्तार

**भीलवाड़ा,** (निसं)। जिले की कारोई थाना पुलिस ने उदयपुर-भीलवाड़ा हाइवे पर करीब 5 माह पहले हुई 7 लाख 70 हजार रुपये के कीमती सामान की चोरी का खुलासा करते हुये चार आरोपितों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस ने बताया कि बाघमाली, आर्सीद निवासी रतन सिंह पुत्र कालू रावत ने गत 4 फरवरी को थाने में रिपोर्ट दी कि वह उदयपुर की एक कंपनी के भुवाना सर्किल स्थित कार्यालय से पार्सल कंटेनर में डिलेवरी का सामान लेकर भीलवाड़ा जा रहा था। इस दौरान भूणास से गठिला के बीच कंटेनर से आठ बोरे किसी ने निकाल लिये। इसका पता उसे टोल प्लाजा के आगे ब्रेक लगाने पर चला। इन बोरों में चार मोबाइल, कॉस्मेटिक आइटम, कपड़े, इलेक्ट्रोनिक्स आइटम आदि शामिल थे। चोरी गये माल की कीमत 7 लाख 70 हजार रुपये है। कारोई थाना प्रभारी हंसपाल सिंह के नेतृत्व में एक टीम गठित की। इस टीम ने अथक प्रयास के बाद इस चोरी का खुलासा करते हुये चोरी के आरोप में ढोसर निवासी हेमराज भील, इरफान, सूरजपुरा निवासी सुभाष भील व मदन पुत्र लेहरु भील को गिरफ्तार किया है।

# चेक अनादरण के मामले में सुनाई सजा

**भीलवाड़ा,** (निसं)। विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण संख्या 1) ने चेक अनादरण के एक मामले में नेवरिया, जिला चित्तौडगढ़ के अर्जुन लाल पुत्र स्व. लोभचंद बापना को एक साल के साधारण कारावास से दंडित करते हुये आदेश दिया है कि वह परिवादी किरण प्रकाश बापना को आठ लाख रुपये बतौर क्षतिपूर्ति रिविजन प्रतिकर के रुप में अदा करे।

परिवादी के अधिवक्ता राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि नेवरिया निवासी किरण प्रकाश पुत्र जीवनलाल बापना (हाल मोबाइल शॉप संचालक शाम की सब्जी मंडी भीलवाड़ा) ने अर्जुन लाल बापना के खिलाफ परिवाद पेश किया। इसमें बताया कि आरोपित ने व्यापार में रुपयों की आवश्यकता होने

- 14 अगस्त 2018 का चार लाख का चैक दिया था

से परिवादी से रुपये उधार लिये, जिसके भुगतान पेटे एक चेक 14 अगस्त 2018 का चार लाख रुपये का दिया। यह चेक चार अक्टूबर 18 को अनादरित हो गया। इस परिवाद पर न्यायालय में सुनवाई की गई। इसके बाद न्यायालय ने आरोपित अर्जुन बापना को दोषी मानते हुये एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा से दंडित किया। साथ ही आरोपित अर्जुन लाल को यह आदेश दिया कि वह, परिवादी किरण प्रकाश बापना को आठ लाख रुपये बतौर क्षतिपूर्ति रिविजन प्रतिकर के रुप में अदा करे।

## जीएसटी लगाने का विरोध

**बीदासर,** (निसं)। भारत सरकार द्वारा खाद्य वस्तुओं गेहूं, आटा, दाल, चावल, गुड पर 18 जुलाई से जीएसटी लगाने के विरोध में कस्बे के व्यापार मण्डल के आव्हान पर कस्बे के खाद्य पदार्थों की दुकानें पूर्णतया बंद रही।

जिसके चलते रोजमर्रा की खाद्य सामग्री खरीदने वाले लोगों को काफी परेशानीयों का सामना करना पड़ा। वहीं प्रत्येक रविवार को कस्बे की सभी प्रतिष्ठान बंद रहने से दो दिन खाद्य पदार्थों की दुकानें लगातार बंद रहने के कारण लोगो को परैशानीयों का सामना करना पड़ेगा। बंद के दौरान कस्बे के गाँधी चौक, मंण्डी बाजार, पुराना बस स्टेण्ड रोड़, हाई स्कूल रोड़, नगीना बाजार सहित अन्य खाद्य पदार्थों की दुकाने बंद के दौरान पूर्णतया बंद रही।

# हाईकोर्ट ने गोचर भूमि से अतिक्रमण हटाने के दिए आदेश

**जोधपुर,** (कासं)। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति संदीप मेहता एवं न्यायाधिपति कुलदीप माथुर की खण्डपीठ द्वारा जनहित याचिका लादूसिंह व अन्य बनाम राजस्थान राज्य में सुनवाई करते हुए अप्रार्थीगण के द्वारा गोचर भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटाने के लिये कार्यवाही करने के आदेश पारित किए।

सबाड़िया, बिलाड़ा जोधपुर पूर्व में ग्राम संबाडिया तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर के निवासी लादूसिंह, भंवरसिंह, छोटूसिंह, चैनाराम एवं जोगाराम के अधिवक्ता प्रवीण दयाल दवे एवं रुचि परिहार द्वारा न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका प्रस्तुत कर न्यायालय को बताया था कि ग्राम संबाडिया के खसरा नंबर 6,14, 18, 98, 99, 206, 232, 239, 281/3, 289, 292/1 कुल खसरा

- गोचर भूमि पर निर्माण कार्य करने, खेती करने, ट्यूबवेल खोदे जाने व विद्युत संबंध लेने के खिलाफ लगाई थी जनहित याचिका
- प्रकरण में 30 अगस्त 2022 को अप्रार्थीगण को नवीन अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है

11 रकबा 1781.17 बीघा (एक हजार सात सौ इक्यासी बीघा 17 बिस्वा) गौचर भूमि स्थित है, जहां पर गोचर भूमि पर अतिक्रमण कर, मौके पर निर्माण कार्य कर, खेती कर, ट्यूबवेल खोदे जा रहे हैं, विद्युत संबंध लिये जा रहे है, संपूर्ण चारागाह भूमि पर अतिक्रमण किया जा चुका है।

याचिका में यह भी बताया कि गोचर भूमि पर अतिक्रमण मुक्त करने के संदर्भ में मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा, विकास अधिकारी बिलाड़ा, तहसीलदार बिलाड़ा, जिला कलेक्टर जोधपुर को ज्ञापन देने के बावजूद कार्यवाही नहीं की जा रही है, जिस पर पूर्व में 1 दिसम्बर 2018 को न्यायाधिपति संगीत लोढ़ा एवं दिनेश मेहता द्वारा सुनवाई करते हुए राज्य सरकार व अन्य को नोटिस जारी कर याचिका के लंबित रहते गोचर भूमि पर किसी भी प्रकार के अन्य कार्य पर रोक लगाते हुए गोचर भूमि पर यथास्थिति का स्थगन आदेश जारी किया था, पश्चात अधिवक्ता दवे ने बताया कि जनहित याचिका की पुनः सुनवाई करते हुए न्यायालय द्वारा 1 दिसंबर 2018 के आदेश को स्पष्ट करते हुए कहा कि न्यायालय द्वारा रेवेन्यू रिकॉर्ड जो कि गोचर भूमि है, को अन्य उपयोग में न लेने के संदर्भ में पारित किया था, जो आज भी प्रभावी है।

पूर्व में न्यायालय द्वारा भूमि की प्रकृति को बनाये रखने के लिये आदेश पारित किया था, न कि भूमि पर अवैध कब्जे बनाये रखने के संदर्भ में किया था। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि बिना अधिकार के प्रवेश करने वालों (घुसपैठियों) का अनाधिकृत कब्जा गोचर भूमि पर है, तो अप्रार्थीगण अवैध कब्जे को हटाने के संदर्भ में उचित कार्यवाही कर सकते हैं। इस प्रकार राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा 1 दिसम्बर 2018 को पारित आदेश को स्पष्ट करते हुए 17 जुलाई 2019 को पुनः आदेश कर अवैध अतिक्रमण को हटाने के संदर्भ में उचित कार्यवाही करने के आदेश दिए थे। पश्चात आज प्रकरण पुनः सूचीबद्ध होने पर न्यायालय में एडिशनल एडवोकेट जनरल सुनील बेनीवाल द्वारा बताया कि राजस्व अधिकारियों ने पुलिस की मदद से गोचर भूमि पर स्थाई पक्के अवैध निर्माणों को हटाने के लिए पुलिस सहायता मांगी है जो प्रक्रिया 26 जुलाई 22 तक की जाएगी। पश्चात न्यायालय द्वारा जिला कलेक्टर जोधपुर को आदेश दिया गया कि वह यह सुनिश्चित करेंगे कि विचाराधीन भूमि पर अतिक्रमणकारियों को, जिन्हें किसी न्यायालय या मालिकाना हक के दस्तावेजों से कोई अंतरिम संरक्षण प्राप्त नहीं है, उन्हें गोचरभूमि से हटा दिया जाने का आदेश देते हुए प्रकरण में 30 अगस्त 2022 को अप्रार्थीगण को नवीन अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है।

# बैंक पर 25 हजार रुपए का हर्जाना लगाया

**जोधपुर,** (कासं)। जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग द्वितीय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि बैंक की खराब सेवाओं से असंतुष्ट ग्राहक को अपना विरोध प्रकट करने का पूर्ण अधिकार है। एक मामले में ग्राहक द्वारा सेवा से संतुष्ट नहीं होने का कारण बताने से खाता बंद करने से इंकार करने पर आयोग ने एसबीआई पर 25 हजार रुपए हर्जाना लगाया है।

मामले के अनुसार मंडोर निवासी वीरेंद्र सिंह ने आयोग में परिवाद प्रस्तुत कर बताया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नयापुरा शाखा की ओर से आग्रह के बावजूद उसे एटीएम सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई। इस कारण उसने उक्त बैंक में अपने खाता को बंद कराने के लिए नवम्बर, 2017 में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसमें "मैं इस बैंक से संतुष्ट नहीं हूं" कारण अंकित करने के कारण बैंक कर्मचारियों ने इसे अनुचित आधार बताते हुए खाता को बंद करने

- ग्राहक द्वारा सेवा से संतुष्ट नहीं होने का कारण बताने से खाता बंद करने से इंकार करने पर आयोग ने एसबीआई पर हर्जाना लगाया

से इंकार कर दिया। उसके द्वारा कस्टमर केयर नंबर पर शिकायत किए जाने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं की गई। बल्कि खाते में न्यूनतम बैलेंस नहीं रखने के कारण उस पर पेनल्टी भी लगा दी गई। इस मामले में बैंक की ओर से कहा गया कि खाताधारक आनन-फानन में अपना खाता बंद करवाना चाहता था। ऐसे में अपनी खीज निकालते हुए सेवा से असंतुष्ट होने का कारण बता दिया। बैंक की ओर से खातादारक की ओर से ली गई सेवाओं की भुगतान राशि खाते से कंप्यूटरीकृत व्यवस्था से अपने आप कट जाती है। आयोग के अध्यक्ष डॉ श्याम सुन्दर लाटा, सदस्य डॉ अनुराधा व्यास, आनंद सिंह सोलंकी ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अपने निर्णय में कहा कि बैंक को यह अधिकार नहीं है कि सेवाओं से असंतुष्ट ग्राहक को वह अपनी झूठी प्रशंसा कराने के लिए मजबूर कर सके। खाताधारक द्वारा अनुरोध किए जाने के साथ ही बैंक उसका खाता बंद करने को जिम्मेदार है तथा ग्राहक की सहमति के बिना चालू रखने का अधिकार नहीं है। आयोग ने विपक्षी बैंक द्वारा परिवादी का खाता जबरन चालू रखना सेवा में कमी मानते हुए परिवादी को क्षितपूर्ति के निमित्त 25 हजार रुपए की राशि बैंक द्वारा अदा करने व पेनल्टी राशि मय ब्याज लौटाने का आदेश दिया है। साथ ही उसके खाते से सेवा के नाम पर काटे गए 892 रुपए भी वापस लौटाने का आदेश दिया।

# उदयपुर का मदार बड़ा तालाब छलका

**उदयपुर,** (निसं)। लेकसिटी में सावन मास के लगते ही सक्रिय हुए मानसून के दूसरे चक्र ने अच्छी बारिश की झड़ी लगा रखी है। दिन हो रात बूंदाबांदी व रूक-रूक कर बारिश का दौर जारी है। हालांकि बारिश के बीच निकलती धूप ने शहर के मौसम में फिर उमस घोल दी है। 24 फीट क्षमता वाला मदार बड़ा तालाब भी शनिवार सुबह छलक गया इसका पानी मदार नहर के जरिए फतहसागर में आ रहा है।

- थूर की पाल पर भी दो दिन पहले चादर चल गई थी

झीलों के शहर में मानसून की अच्छी बारिश हो रही है हालांकि शहर के उत्तरी छोर के केचमेंट एरिया में अच्छी बारिश होने से मदार तालाब भी छलक चुका है। इसी क्षेत्र में थूर की पाल पर भी दो दिन पहले चादर चली और इसका पानी फतहसागर झील में आया था। शुक्रवार को आवक कम पड़ गई थी लेकिन आज सुबह मदार बड़ा तालाब के लबालब होने व इस पर चादर चलने से मदार नहर के जरिए इसका पानी फतहसागर में आना शुरू हो गया।

उदयपुर में 24 फीट क्षमता वाला मदार बड़ा तालाब छलक गया, इसका पानी फतहसागर में जा रहा है।

हालांकि झील के जलस्तर में दो दिन में केवल आधा से पौन फीट की आवक ही हुई है। फतहसागर झील का जलस्तर साढ़े पांच फीट को पार कर गया है। पूर्ण भराव क्षमता 13 फीट से यह साढ़े आठ फीट खाली है।

इधर, सिंचाई विभाग के बाढ़ नियंत्रण कक्ष से मिली जानकारी के अनुसार प्रातः 8 बजे समाप्त बीते 24 घंटों में उदयपुर शहर में 16 मिमी, खेरवाड़ा में 60 मिमी, नयागांव 25, भीण्डर 41, कुराबड़ 17, गोगुन्दा 15, सेमारी 14, झाड़ोल में 12 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग डबोक से मिली जानकारी के अनुसार शहर का अधिकतम तापमान 29.4 डिग्री व न्यूनतम तापमान 24.6 डिग्री रहा। दोनों ही तापमान में केवल पांच डिग्री का अंतर रिकॉर्ड किया गया है।

## 31 जुलाई तक मिल सकेगा एडमिशन

**बीकानेर,** (कासं)। प्रदेश के सरकारी स्कूल्स में क्लास नौ से बारह तक के स्टूडेंट्स को अब 31 जुलाई तक एडमिशन मिल सकेगा। पहले पन्द्रह जुलाई लास्ट डेट थी लेकिन अब इसमें बढ़ोतरी कर दी गई है। वहीं क्लास एक से आठ तक के स्टूडेंट्स के वर्ष पर्यन्त ही एडमिशन हो सकेंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। सरकारी व प्राइवेट स्कूल्स को इसी आदेश का इंतजार था। दरअसल, एडमिशन का प्रोसेस प्द्रह जुलाई तक पूरा नहीं हो सका था। उम्मीद की जा रही थी कि डेट्स में बढ़ोतरी होगी। पिछले सालों में भी डेट्स में बढ़ोतरी होती रही है। दरअसल दसवीं की परीक्षा का रिजल्ट घोषित होने के बाद भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की ओर से मार्कशीट वितरण में देरी की गई। बीकानेर में दो दिन पहले ही मार्कशीट्स आई है। ऐसे में प्राइवेट और सरकारी स्कूल्स ने अब तक मार्कशीट का वितरण नहीं किया है। अब सभी मार्कशीट्स का वितरण किया जा रहा है।